प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.04.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 30.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त मौ0 रफीक पुत्र अलकास निवासी बी-114 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र 45 वर्ष को बंगाली कालोनी मे तिकोना पार्क थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 06 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह गांजा बंगाली कालोनी मे आने जाने वाले लोगो को बेचता हूं और इसे बेचकर जो पैसा मिलता है। उससे अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

मौ0 रफीक पुत्र अलकास निवासी बी- 114 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 06 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:

अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना शालीमार गार्डन व साहिबाबाद पर हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा बहला-फुसलाकर लड़की को भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना लोनी पर दिनांक 28.04.2024 को वादी द्वारा दी गई तहरीर प्रार्थी की बहन को पास में रहने वाला लड़का रिहान बहला-फुसलाकर कही ले गया जिसमें तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी। तत्पश्चात आज दिनांक 30.04.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा बहला-फुसलाकर लड़की को भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र आजाद निवासी ग्राम सिखेड़ा जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया तथा लड़की को बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

रिहान पुत्र आजाद निवासी ग्राम सिखेड़ा जनपद हापुड़ उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 29.04.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी बीनेश कुमार पुत्र बाबू सिंह निवासी- म0नं0 115/97 रामनगर साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 28.04.2024 को रात्रि में घर के सामने से 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटर साइकिल (बुलेट) चोरी कर लेने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी गयी जिस पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल साहिबाबाद पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 30.04.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. विपिन तिवारी पुत्र श्री विनोद तिवारी निवासी- डी 22 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष, 2.राजा पुत्र संतलाल शाह निवासी- खजुरी पार्क के पास जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को राजबाग मैट्रो स्टेशन के पास थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल (बुलेट) बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: पूछताछ में अभियुक्तगणों उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जो मोटर साइकिल दुकानों के सामने व सडक पर खडी रहती है। हम उनको चोरी कर लेते है। ओर उन्हे सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. विपिन तिवारी पुत्र श्री विनोद तिवारी निवासी- डी 22 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

2.राजा पुत्र संतलाल शाह निवासी- खजुरी पार्क के पास जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बुलेट) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा ई- रिक्सा की बैटरी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 बैटरी बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 29.04.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ई- रिक्सा की बैटरी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. नदीन पुत्र राजबली निवासी गली नं0 2 शिव मन्दिर के पास मकनपुर थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र- 23 बर्ष , 2. नीरज पुत्र परमानन्द (भूमिहार) निवासी- ग्राम पैन डिग्री थाना शिवपुरा जिला पटना (बिहार) हाल पता म0नं0 447 सी न्यायखण्ड 1 इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र- 22 बर्ष को नहर पटरी इंदिरापुरम अण्डर पास NH 24 से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 04 बैटरी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1.नदीन पुत्र राजबली निवासी गली न0 2 शिव मन्दिर के पास मकनपुर थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

2. नीरज पुत्र परमानन्द (भूमिहार) निवासी ग्राम पैन डिग्री थाना शिवपुरा जिला पटना (बिहार) हाल पता म0न0 447 सी न्यायखण्ड 1 इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:
कब्जे से चोरी की 04 बैटरी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:
थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मो0फोन, 2900 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 28/04/2024 को वादी श्री अभिनव दीक्षित पुत्र श्री विरेन्द्र शर्मा निवासी ई-ब्लाक गली नं 11 खजुरी खास दिल्ली, ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अज्ञात बाइक सवार द्वारा मेरा फोन सैमसंग M33 5G छीन लिया है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 29-04-24 को चेकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को ब्रेव हार्ट सोसायटी से आगे हनुमान चौक के पास से गिरफ्तार किया गया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गण का नाम व पता-

(1) रोहित पुत्र ठाकुर दास हाल नि० ग्राम गढी थाना नन्दग्राम ग़ाज़ियाबाद मूल निवासी पण्डावल दुराही थाना डिवाई जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष।

(2) कन्हैया गुप्ता पुत्र श्याम गुप्ता नि० गढी थाना नन्दग्राम ग़ाज़ियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो दोस्त है, और नशे के आदि है, 02 दिन पहले हम दोनो ने इसी मोटर साइकिल से आर0के0जी0आई0टी कॉलेज के पास से एक लड़के से शाम के समय यह मो0फोन लूटा था।

बरामदगी का विवरण -

एक फोन सैमसंग रंग ओलिव ग्रीन, 2900 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से एक चैन पीली धातु, तीन सिक्के सफ़ेद धातु, चार जोड़ी बिछवे सफेद धातु व 1200 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 5/04/2024 को वादिया निवासी सिहानी विश्वास नगर माता कालोनी थाना नन्दग्राम ग़ाज़ियाबाद, ने सूचना दी कि अज्ञात चोरो द्वारा छत के रास्ते से घर में घुस कर दो फोन, 30000/- नगद की चोरी कर ली है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 30-04-24 को चैकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को नगर निगम कार्यालय के पीछे ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गण का नाम व पता-

(3) अभिषेक उर्फ काला पुत्र कैलाश चन्द निवासी घूकना मोड मास्टर कालोनी हरवंश नगर थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद उर्म 23 वर्ष

(4) विपिन उर्फ गॉगी पुत्र जोगिन्दर शर्मा निवासी घूकना मोड हिजडे वाली गली हरवंश नगर थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो दोस्त है, और नशे के आदि है, यह चोरी हमने करीब एक माह पहले विश्वास नगर के एक घर से करी थी, इसके अलावा हमने लगभग डेढ माह पहले सिहानी गांव में घर की छत के उपर लगे टावर से हमने दो सेल चोरी किए थे जिसको हमने चलते फिरते कबाडी को बेच दिया था।

बरामदगी का विवरण -

अभि0गण के कब्ज़े से एक चैन पीली धातु, तीन सिक्के सफ़ेद धातु, चार जोड़ी बिछवे सफ़ेद धातु व 1200 रूपये नगद बरामद

अभि0गण का आपराधिक इतिहास –

अभि0 अभिषेक उर्फ काला उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 08 अभियोग व थाना सिहानी गेट पर 02 अभियोग कुल 10 अभियोग चोरी के पंजीकृत है।

अभि0 विपिन उर्फ गागी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 03 अभियोग चोरी के पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग का 01 वारंटी गिरफ्तार

दिनांक 30.04.2024 को थाना लिकं रोड पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में फरार चल रहा वारंटी अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र विकास रजक नि0 म0नं0-ए-77 चन्द्र विहार मंडावली गली नं0-5 थाना मधु विहार दिल्ली उम्र -35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चन्द्रनगर झुग्गी झोपडी के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना चांदनी चौक दिल्ली पर दिनांक 26.11.2014 को मृतक गिरीश चन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र गया प्रसाद निवासी रामनगर थाना निधोली कला जिला एटा हाल एच सी 115 -75 सरोजनी नगर नई दिल्ली की गुमशुदगी दर्ज थी। मृतक गिरीश चन्द्र का शव थाना लिंकरोड क्षेत्र से बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर वर्ष 2015 में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था दौराने विवेचना अभियुक्त नवीन कुमार उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था जिसमें अभियुक्त नवीन कुमार द्वारा अपने सह अभियुक्तो के साथ मिलकर मृतक गिरीश चन्द्र के साथ लूटपाट कर हत्या कारित की तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से रेलवे लाइन थाना लिंकरोड क्षेत्र के पास फेककर फरार हो गये थे। अभियुक्त नवीन कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कई वर्षो से वारंटी अभियुक्त माननीय न्यायालय से जमानत पाकर लगातार फरार चल रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

नवीन कुमार पुत्र विकास रजक नि0 म0नं0-ए-77 चन्द्र विहार मंडावली गली नं0-5 थाना मधु विहार दिल्ली उम्र -35 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिल्ली में लूट के 05 अभियोग व थाना लिंकरोड पर लूट के साथ हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम